न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 133 / 2020

प्रार्थीगण

1. मिआजलाराम वल्द केवलाराम
2. छोगाराम वल्द केवलाराम
3. मांगाराम वल्द केवलाराम
4. दुर्गाराम वल्द केवलाराम
   कौम माली निवासी मालियों की ढाणी ग्रा.पं. नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. वोहता वल्द प्रेमा
2. उदा वल्द प्रेमा
3. अजा वल्द केवा
4. सालू वल्द भोमा
5. सामा वल्द भोमा
6. निम्बा वल्द भेमा
7. सामा वल्द भोमा
8. दरगा वल्द भोमा
9. जैरूपा वल्द हिन्दू
10. नरींगा वल्द जोधा
11. भूपा वल्द दीपा
12. जगा वल्द दीपा
13. खुशाला वल्द जोधा
14. चौथीदेवी पत्नी जोधा
15. रूगनाथराम वल्द वीरमाराम
16. जोयतीदेवी पत्नी वीरमाराम
17. गेना वल्द नवा
18. होतीराम वल्द भैरा
19. गजाराम वल्द भैरा
20. हिन्दू वल्द भैरा
21. टीपू पत्नी भैरा
22. केवा के कायम मुकाम
    22/1 तगा वल्द केवा
    22/2 भूपा वल्द केवा
    कौम माली निवासी मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
23. बालका वल्द हुका
24. आसू वल्द हुकमा
    कौम रबारी निवासी डेडावास जागीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
25. केयर्न इण्डिया लि0 साईट आर.ए.ए.जी.–आरजीटी लेण्ड डि0 आर.जी.टी रावलीनाडी नगर
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:51:11 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक :– 0

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2072–2075 सरहद मौजा मालियों की ढाणी पटवार मण्डल नगर तहसील गुडामालानी के खेत खसरा नम्बर 595, 628, 644, 652 रकबा क्रमशः 38–17, 35–04, 3–11, 36–16 बीघा कुल रकबा 114–08 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मालियों की ढाणी पटवार मण्डल नगर तहसील गुडामालानी के खेत खसरा नम्बर 595, 628, 644, 652 रकबा क्रमशः 38–17, 35–04, 3–11, 36–16 बीघा कुल रकबा 114–08 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना आर.जी.टी. रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:51:11 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी